Shyamlal Pandviya Govt. P.G. College Morar

Criteria: 2

Teaching- Learning and Evaluation

Copy of the letter issued by the State Govt. indicating the reserved category (SC, ST, OBC, Divyangjan, etc) to be considered as per the state rule.

उच्च शिक्षा विभाग

ऑनलाइन ई–प्रवेश

सत्र 2023–24

मध्यप्रदेश के शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/अशासकीय महाविद्यालय की स्नातक प्रथम वर्ष/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु इच्छुक आवेदकों के लिए

प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त पुस्तिका

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, पाँचवी मंजिल, भोपाल – 462004

नियंत्रण कक्ष हेल्पलाइन नंबर **:-** 0755–2551698, 2554763

E-mail:-affil-he@mp.gov.in / epravesh12@gmail.com

तकनीकी समस्या हेतु एम.पी. ऑनलाइन सहायता केन्द्र नंबर :–0755–6720201

विचार, कर्म एवं व्यवहार की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति ही शिक्षा है।

24.3 ट्रॉन्सजेंडर को केवल सह–शिक्षा (Co-Education) महाविद्यालय में ही प्रवेश दिया जायेगा।

24.4 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं है। लेकिन दैनिक कर्त्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जा सकेगा।

25. बाह्य राज्य के आवेदकों हेतु प्रवेश नियम :–

25.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एससी./बी.एस.सी.(गृह–विज्ञान) में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता है, किंतु सम्बंधित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय–समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो तो संबंधित परीक्षण के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।

25.2 मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थित यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष अथवा द्वितीय/चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा, राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर की प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा संबंधित विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद उन्हीं विषय/विषयों/विषय–समूह की अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने की स्थिति में नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।

25.3 राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ–पत्र देना होगा। शपथ–पत्र में फर्जी, किसी भी तरह की झूठी/गलत जानकारी पाये जाने की दशा में संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में आगामी तीन वर्ष तक प्रवेश से वंचित कर दिया जायेगा।

25.4 राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को प्रवेश के पूर्व, प्राचार्यों द्वारा संबंधित राज्यों एवं स्थानीय आरक्षी केन्द्रों के माध्यम से पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य है।

25.5 केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थाओं में मध्यप्रदेश के विद्यार्थियों के लिए 80 प्रतिशत तथा अन्य राज्यों के विद्यार्थियों हेतु 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखने की व्यवस्था लागू रहेगी।

25.6 महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों द्वारा पूर्व में अध्ययनरत् संस्था के प्राचार्य द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

25.7 जिन विषयों में प्रवेश के लिये प्रदेश के विद्यार्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है, उन विषयों में अन्य राज्य के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

26. आरक्षण :–

मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप आरक्षण निम्नानुसार होगा :–

26.1 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार यदि अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी/ओपन प्रतिस्पर्धा में नियमानुसार मेरिट सूची में आता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें अप्रभावित रहेंगी। परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी अन्य संवर्ग जैसे–स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का है तो संबंधित संवर्ग की सीट उस विशिष्ट आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी। संबंधित विशिष्ट संवर्ग की शेष सीटें पात्रतानुसार भरी जायेंगी।

26.2 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए क्रमशः 16 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे।

26.3 पिछड़े वर्ग (क्रीमी–लेयर छोड़कर) के आवेदकों के लिये 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 349 भोपाल दिनांक 14.08.2019 में प्रकाशित संशोधन क्रमांक 13681–227–इक्कीस–अ (प्रा) अधि. दिनांक 13.08.2019 द्वारा संशोधित आदेश पर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 5901/2019 के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अधीन लागू किया जायेगा)

Translated English Version Transcripts of Admission Rules for Reservation Policy as per State Government Directives in Hindi

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, पांचवी मंजिल, भोपाल–462004
मध्यप्रदेश के शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों की
स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए
प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त
(सत्र 2017–2018)

Office of the Commissioner, Higher Education, Government of Madhya Pradesh, SatpuraBhavan, 5th Floor, Bhopal-462004

Guidelines and Principles for Admission and Entrance Rules

for Undergraduate and Postgraduate Courses in Government/Private Colleges of Madhya Pradesh

(Session 2017-2018)

Page No. 12/17

Hindi Transcript

12. आरक्षण : मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा –

12.1 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए क्रमशः 16 तथा 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित होगें। इन दोनों वर्गो के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे।

12.2 पिछडे वर्ग (क्रीमी–लेयर छोड़कर) के आवेदकों के लिये 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे।

English translation:

12. Reservation: As per the reservation policy of the Government of Madhya Pradesh, the following will apply -

12.1 For applicants belonging to Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST), 16% and 20% of seats will be reserved respectively. The distribution of seats within these two categories will be interchangeable.

12.2 For applicants from Other Backward Classes (excluding the creamy layer), 14% of seats will be reserved.

Page No. 04/17

Hindi Transcript

2.5 तृतीय चरण हेतु प्रवेश :

2.5.1 द्वितीय चरण के पश्चात महाविद्यालयवार/पाठ्क्रमवार/वर्गवार रिक्त स्थानों की जानकारी ई–प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। द्वितीय चरण के पश्चात् महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों में रिक्त रह गये स्थानों पर तृतीय चरण हेतु अप्रवेशित आवेदक अपनी पूर्व वरीयताओं में समय सारणी अनुसार निर्धारित तिथियों में संशोधन/परिवर्तन कर सकेगा।

इस चरण में रिक्त आरक्षित सीटों पर संबंधित आरक्षित वर्ग के आवेदक उपलब्ध न होने पर उक्त रिक्त सीटें सामान्य वर्ग के आवेदकों हेतु उपलब्ध रहेंगी।

English translation:

2.5 Admission for the Third Round:

2.5.1 Information about the vacant seats at the college/program/category level after the second round will be available on the e-admission portal. After the second round, applicants who are not admitted to the vacant positions in colleges/programs will have the opportunity to modify/change their preferences according to the timetable specified. In this round, if the reserved category applicants are not available for the vacant reserved seats, the respective vacant seats will remain available for applicants from the general category.

Office of the Commissioner, Higher Education, Government of Madhya Pradesh, SatpuraBhavan, 5th Floor, Bhopal-462004

Guidelines and Principles for Admission and Entrance Rules

for Undergraduate and Postgraduate Courses in Government/Private Colleges of Madhya Pradesh

(Session 2018-2019)

Hindi Transcript

12. आरक्षण : मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा–

12.1 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए क्रमशः 16 तथा 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे।

12.2 पिछड़े वर्ग (क्रीमी–लेयर छोड़कर) के आवेदकों के लिये 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे।

English translation:

12. Reservation: As per the reservation policy of the Government of Madhya Pradesh, the following will apply -

12.1 For applicants belonging to Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST), 16% and 20% of seats will be reserved respectively. The distribution of seats within these two categories will be interchangeable.

12.2 For applicants from Other Backward Classes (excluding the creamy layer), 14% of seats will be reserved.

Hindi Transcript

12.11 कंडिका 2.5 अनुसार सी.एल.सी. चरण में पूर्व में वर्णित आरक्षित श्रेणी के रिक्त स्थान अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के आवेदकों के लिए उपलब्ध रहेंगे।

English translation:

12.11 As per point 2.5, if the reserved category applicants are not available for the vacant reserved seats at College level Counseling (CLC), the respective vacant seats will remain available for applicants from the general category.

Office of the Commissioner, Higher Education, Government of Madhya Pradesh, SatpuraBhavan, 5th Floor, Bhopal-462004

Guidelines and Principles for Admission and Entrance Rules

for Undergraduate and Postgraduate Courses in Government/Private Colleges of Madhya Pradesh

(Session 2019-2020)

Page No. 5/20

Hindi Transcript

2.5.2 सी.एल.सी. चरण (ऑनलाइन) की प्रकियाः

ऑनलाईन सी.एल.सी. चरण की प्रकिया के तहत प्रवेश हेतु नवीन पंजीकृत एवं अप्रवेशित आवेदकों को, समय सारणी अनुसार निर्धारित तिथियों में, रिक्त स्थानों की उपलब्धता वाले महाविद्यालय हेतु पाठ्यक्रम/विषय समूह/विषय में प्रवेश हेतु, पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन विकल्प देना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय स्तर पर इस हेतु कोई भी लिखित आवेदन मान्य नहीं किये जावेंगे।

इस चरण में समय सारणी अनुसार रिक्त आरक्षित सीटों पर प्रवेश कंडिका 12.1 से 12.8 का पालन करते हुए संबंधित आरक्षित वर्ग के आवेदक उपलब्ध न होने पर उक्त रिक्त सीटें कंडिका 12.11 अनुसार सामान्य वर्ग के आवेदकों हेतु उपलब्ध रहेंगीं।

English translation:

2.5.2: CLC level (online) process:

As per points 12.1 to 12.8 of admission procedure, if the reserved category applicants are not available for the vacant reserved seats at College level Counselling (CLC), the respective vacant seats will remain available for applicants from the general category.

Page No. 14/20

Hindi Transcript

12. **आरक्षण : मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा–**

12.1 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए क्रमशः 16 तथा 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे।

12.2 पिछड़े वर्ग (क्रीमी–लेयर छोड़कर) के आवेदकों के लिये 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे।

English translation:

12. Reservation: As per the reservation policy of the Government of Madhya Pradesh, the following will apply -

12.1 For applicants belonging to Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST), 16% and 20% of seats will be reserved respectively. The distribution of seats within these two categories will be interchangeable.

12.2 For applicants from Other Backward Classes (excluding the creamy layer), 14% of seats will be reserved.

Department of Higher Education, Government of Madhya Pradesh, SatpuraBhavan, 5th Floor, Bhopal-462004

Guidelines and Principles for Admission and Entrance Rules

for Undergraduate and Postgraduate Courses in Government/Private Colleges of Madhya Pradesh

(Session 2020-2021)

Hindi Transcript

Page No. 8/29

2.5.2 सी.एल.सी. में महाविद्यालय आनलाईन वरीयता सूची गुणानुक्रम अनुसार प्रदान की जायेगी। महाविद्यालय पाठ्यक्रमवार उपलब्ध स्थानों के आधार पर उक्त प्रदत सूची के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेगें एवं इस चरण में समय–सारिणी अनुसार प्रथम चरण के पश्चात रिक्त आरक्षित सीटों पर प्रवेश नियम कंडिका 12.1 से 12.8 का पालन सुनिश्चित करते हुये संबंधित आरक्षित वर्ग के आवेदक उपलब्ध न होने पर उक्त रिक्त सीटें कंडिका 12.11 के प्रावधानों के निहित समय–सारणी अनुसार सामान्य वर्ग के आवेदकों हेतु परिवर्तित की जायेंगी।

Page No. 19/29

English translation:

2.5.2 In the CLC Level process, Online Merit List wil be provided to the college. On the basis of the information about the vacant seats at the college/program/category level admission has to be done following the reservation guidelines as provided in admission rule point 12.1.to 12.8. In this round, if the reserved category applicants are not available for the vacant reserved seats, the respective vacant seats will remain available for applicants from the general category.

Hindi Transcript

12. आरक्षण : मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा–

12.1 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए क्रमशः 16 तथा 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे।

12.2 पिछड़े वर्ग (क्रीमी–लेयर छोड़कर) के आवेदकों के लिये 27 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। (मध्यप्रदेश राजपत्र कमांक 349 भोपाल दिनांक 14.08.2019 में प्रकाशित संशोधन कमांक 13681–227–इक्कीस–अ (प्रा.) अधि. दिनांक 13.08.2019 द्वारा संशोधित आदेश के परिपालन में मार्गदर्शिका में समाहित किया जा रहा है परंतु याचिका कमांक डब्ल्यू.पी. 5901/2019 के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अधीन लागू किया जायेगा)

English translation:

12. Reservation: As per the reservation policy of the Government of Madhya Pradesh, the following will apply -

12.1 For applicants belonging to Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST), 16% and 20% of seats will be reserved respectively. The distribution of seats within these two categories will be interchangeable.

12.2 For applicants from Other Backward Classes (excluding the creamy layer), 27% of seats will be reserved.Reservation of 27% of seats is reserved for applicants from Other Backward Classes (excluding the creamy layer) (As per the amendment published in Madhya Pradesh Gazette No. 349, Bhopal, dated 14.08.2019, and incorporated in the guidelines in accordance with the modified order issued by Additional Chief Secretary on 13.08.2019, however, this will be implemented subject to the decision passed by the Honorable High Court under petition number W.P. 5901/2019).

Hindi Transcript

सीटों के विरूद्ध शेष रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रदान किया जावेगा।

8.4. सी.एल.सी चरण में समय–सारणी अनुसार द्वितीय चरण के पश्चात् रिक्त आरक्षित सीटों पर प्रवेश नियम कंडिका 28.1 से 28.9 का पालन सुनिश्चित करते हुये संबंधित आरक्षित वर्ग के आवेदक उपलब्ध न होने पर उक्त रिक्त सीटें कंडिका 28.12 के प्रावधानों के निहित समय–सारणी अनुसार सामान्य वर्ग के आवेदकों हेतु परिवर्तित की जायेंगी।

English translation:

8.4. Following the timetable of the CLC round, after the second round, admission rules under Clauses 28.1 to 28.9 shall be ensured for the vacant reserved seats. In case eligible applicants from the relevant reserved category are not available, the vacant seats as per the provisions of Clause 28.12 shall be reallocated according to the designated timetable for applicants from the general category.

Page No. 25/46

Hindi Transcript

28.2 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए क्रमशः 16 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे।

28.3 पिछड़े वर्ग (क्रीमी–लेयर छोड़कर) के आवेदकों के लिये 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। (मध्यप्रदेश राजपत्र कमांक 349 भोपाल दिनांक 14.08.2019 में प्रकाशित संशोधन क्रमांक 13681–227–इक्कीस–अ (प्रा.) अधि. दिनांक 13.08.2019 द्वारा संशोधित आदेश पर याचिका कमांक डब्ल्यू.पी. 5901/2019 के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अधीन लागू किया जायेगा)

English translation:

28.2 For applicants belonging to Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST), 16% and 20% of seats will be reserved respectively. The distribution of seats within these two categories will be interchangeable.

28.3 For applicants from Other Backward Classes (excluding the creamy layer), 14% of seats will be reserved. (As per the amendment published in Madhya Pradesh Gazette No. 349, Bhopal, dated 14.08.2019, and incorporated in the guidelines in accordance with the modified order issued by Additional Chief Secretary on 13.08.2019, however, this will be implemented subject to the decision passed by the Honorable High Court under petition number W.P. 5901/2019).